सलाहकार पैनल के लिए पात्रता के मानदंड

क. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको द्वारा प्रवर्तित सलाहकार/एजेंसी।

ख. राज्य सरकारों द्वारा प्रवर्तित सलाहकार/एजेंसी।

ग. पेशेवर समूहों द्वारा प्रवर्तित पंजीकृत परामर्शदात्री संस्थाएं।

घ. व्यक्तिगत सलाहकार/प्रोपराइटरी फर्म।

तथापि ओवदक संगठन/व्यक्ति विशेष के पास यूजीसी/एआईसीटीई/भारतीय चार्टेड एकाउंटेट जो भी लागू हो द्वारा अनुमोदित नीचे दी गई विशेषज्ञता श्रेणी में सी किसी एक में न्यूतम शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर होनी चाहिए।

क. कृषि, बागवानी, कृषि–व्यवसाय, कृषि प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, अभियांत्रिकी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन एवं डेयरी, प्रबंधन, वित्त, ग्रामीण प्रबंधन।

ख. चार्टर्ड एकाउंटेट।

वीसीए प्रस्ताव को तैयार करने के लिए जरूरी कागजातों की विवरण सूची नीचे दी गई है

1 आवेदन पत्र (एस.एफ.ए.सी. के वेबसाईट पर उपलब्ध) एवं आनलाइन आवदेन सुविधा।

2 फर्म या कम्पनी के लेटर–हेड पर प्रबंध निदेशक, एस.एफ.ए.सी. नई दिल्ली को संबोधित करते हुए प्रवर्तकों का अनुरोध पत्र।

3 अनुशंसित शाखा को संबोधित स्वीकृतिदाता प्राधिकारी का स्वीकृति पत्र।

4 स्वीकृतिदाता प्राधिकारी के हस्ताक्षर सहित बैंक द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन/प्रॉसेस नोट।

5 छोटे किसान उत्पादकों पर संभावित प्रभाव (ए) सामाजिक प्रभाव (बी) पर्यावरणीय प्रभाव (सी) जोखिम विश्लेषण और (डी) रेप्लीकेशन फैक्टर।

6 बैंक के मूल लेटर–हेड पर तारीख और प्रेषण संख्या सहित प्रत्येक पृष्ठ पर शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर के साथ विशिष्ट सिफारिश के साथ वीसीए की राशि।

7 बैंक द्वारा कार्यान्वयन अनुसूची की पुष्टि।

8 कैश क्रेडिट और टर्म लोन (यदि स्वीकृति हो) का अद्यतन लेखा विवरण।

9 इक्विटी प्रमाणपत्र (ए) साझेदारी या प्रोपराइटरी फर्म के मामले मे सीए का प्रमाणपत्र (बी) फार्म–2, फार्म–5 और फार्म–23 के साथ कम्पनी के आरओसी के साथ दर्ज।

10 प्रवर्तकों और बैंक द्वारा पुष्टिकृत किसानों (बैकवर्ड लिकेंज) की सूची।

11 प्रवर्तकों का शपथ–पत्र कि उन्होनें इससे पूर्व एस.एफ.ए.सी. से वीसीए का लाभ नहीं लिया है।

12 बैंक अधिकारी द्वारा अद्यतन फील्ड निरीक्षण रिपोर्ट।

एस.एफ.ए.सी. की अन्य योजनाएँ

- किसान उत्पादन कंपनियों के लिए इक्विटी अनुदान एवं ऋण निधि योजना।
- किसान उत्पादक संगठनों का संवर्धन।

(विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट देखें)

सत्यमेव जयते
भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

SFAC
लघु कृषक
कृषि व्यापार संघ

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ
एन.सी.यू.आई. ऑडिटोरीअम बिल्डिंग, पांचवा तल
अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाष: 011–26862365
ईपीबीएक्स: 011–26966017, 26966037
bley: sfac@nic.in | **बेबसाइट:** www.sfacindia.com

SFAC
लघु कृषक
कृषि व्यापार संघ

संशोधित

कृषि व्यापार विकास के लिए उद्यम पूंजी योजना

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी.)

कृषि व्यापार विकास के लिए उद्यम पूंजी योजना

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी.) एक पंजीकृत संस्था है जो कृषि एंव सहकारिता विभाग, भारत सरकार के तहत काम कर रही है। इस संस्था को कृषि व्यापार परियोजना की सीापना के लिए निजी निवेश उत्प्रेरित करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है ताकि ग्रामीण आय और रोजगार को बढ़ाया जा सके।

कृषि व्यवसाय परियोजनाओं तथा परियोजना विकास सुविधा (पीडीएफ) के गठन द्वारा व्यक्तियों, उत्पादक वर्गों/संगठनों के लिए आर्थिक तौर पर व्यवहारिक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने में सहायता प्रदान कर एस.एफ.ए.सी. स्कीम के तहत कृषि व्यापार को बढ़ाने के लिए ब्याज मुक्त उद्यम पूंजी प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को बैंक सावधिक ऋण/कार्यशील पूंजी के साथ–साथ उद्यम पूंजी सुलभ कराने के लिए एकल खिकड़ी दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है। एस.एफ.ए.सी. राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारत स्टेट बैंक और इसके सहायक बैंको, आईडीबीआई, एसआईडीबीआई, एनसीडीसी, एनईडीएफआई, एक्जीम बैंक, आरआरबी और राज्य वित्तीय निगम के साथ निकटतम सहयोग के साथ इन योजनाओं को लागू करेगा।

उद्देश्य

योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं:

क. बैंको के नजदीकी सहयोग से कृषि व्यापार उद्यमों की स्थापना में मदद करना।

ख. कृषि व्यापार परियोजनाओं की स्थापना के लिए निजी निवेश को प्रेरित करना तथा इसके जरिये उत्पादकों के लिए सुनिश्चित बाजार उपलब्ध कराना ताकि ग्रामीण आय और रोजगार को बढ़ाया जा सके।

ग. कृषि व्यापार परियोजनाओं का उत्पादकों के साथ संपर्क सुदृढ़ करके उत्पादकों से कच्चा माल जुटाने की गतिविधियों में मदद करना।

घ. परियोजना विकास सुविधा के माध्यम से मूल्य श्रृंखला में किसानों, उत्पादक समूहों/कम्पनी और कृषि विज्ञान स्नातकों की भागीदारी में मदद करना।

योजना की उल्लेखनीय विशेषताएं

योग्य व्यक्ति

इस योजना के तहत निम्न की सहायता उपलब्ध है:

- व्यक्तियों
- किसान
- किसान उत्पादन कम्पनियां/किसान उत्पादक संगठन
- साझेदारों/प्रोपराइटरी फर्मों
- स्वयं–सहायता समूहों
- कंपनियों
- कृषि उद्यमियों
- कृषि निर्यात क्षेत्र की इकाइयों
- व्यक्तिगत अथवा सामूहिक स्तर पर कृषि स्नातकों

पात्रता रखने वाली परियोजनाएं

क. परियोजना, कृषि अथवा इससे सम्बद्ध क्षेत्रों या कृषि सेवाओं से संबंधित होनी चाहिए। पोल्ट्री (मुर्गीपालन) और डेयरी उत्पादकों को भी इस योजना में शामिल किया गया है।

ख. परियोजना में किसानों/उत्पादक समूहों को सुनिश्चित बाजार प्रदान किया जाना चाहिए।

ग. परियोजना के तहत किसानों को अधिक मूल्य वाली फसलों के विविधीकरण हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

घ. बैंकों एव वित्तीय संस्थाओं द्वारा सावधिक ऋण के लिए परियोजना स्वीकार्य होनी चाहिये।

उद्यम पूंजी सहायता

परियोजना की लागत के संबंध में ब्याज मुक्त वित्त उपलब्ध कराने के साधनों के तहत सावधिक ऋण स्वीकृत करने वाले प्राधिकरण द्वारा सुलभ–ऋण के वित्तीय अंतर को पूरा करने के लिए एस.एफ.ए.सी. कृषि व्यवसाय परियोजनाओं को उद्यमी पूंजी उपलब्ध कराती है।

एस.एफ.ए.सी. द्वारा उद्यम पूंजी सहायता की राशि निम्नानुसार न्यूतम होगी:

- प्रमोटर (प्रवर्तक) की इक्विटी का 26 प्रतिशत।
- ₹ 50 लाख।

हांलाकि, पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं पहाड़ी राज्यों (हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और उत्तराखण्ड) में कृषि व्यापार परियोजनाओं तथा अन्य सभी मामलों में देश के किसी अन्य भाग में जहां परियोजना का प्रवर्तन किसी पंजीकृत किसान उत्पादक संगठन द्वारा किया जाएगा उद्यम पूंजी की राशि निम्नानुसार न्यूतम होगी:

- प्रमोटर (प्रवर्तक) की इक्विटी का 40 प्रतिशत।
- ₹ 50 लाख।

योजना की पात्रता लागत

- न्यूतम ₹15 लाख (पर्वतीय व पूर्वोत्तर राज्यों और पिछड़े जिलों के लिए ₹10 लाख)।
- अधिकतम 500.00 लाख तक।

योग्य परियोजनाओं को निम्न विशेषताओं के आधार पर एस.एफ.ए.सी. द्वारा उच्च उद्यम पूंजी सहायता प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है:

- टर्म लोन (सावधिक ऋण) के स्वीकृति प्राधिकरण के द्वारा उच्च उद्यम पूंजी (वीसीए) के प्रावधान का मूल्याकन तथा अनुमोदन, अधिकतम 3 करोड़ तक।
- परियोजना की कुल लागत 10 करोड़ से अधिक न हो।
- परियोजना उत्तर पूर्वी क्षेत्र अथवा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना द्वारा पूर्व घोषित चिन्हांकित जिलों में स्थित हो।

बैंक के सावधिक ऋण के पूर्ण भुगतान के पश्चात मूल कार्यक्रम के अनुसार या उससे पूर्व लाभार्थियों को उद्यम पूंजी के रूप में दी गई सहायता राशि की एक मुश्त रकत, एस.एफ.ए.सी. को लौटना होगा।

परियोजना विकास सुविधा (पी.डी.एफ.)

किसानों को परियोजना विकास सुविधा के तहत किसानों, कृषि उत्पाद कपंनियों/कृषि उत्पादक संगठन, कृषि उद्यमियों, कृषि निर्यात क्षेत्र की इकाइयों, संगठनों और कृषि स्नाताकों को बैंक ऋण योग्य विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

लाभार्थी सहायता के लिए निम्नलिखित में से किसी से भी संपर्क कर सकते है:

- प्रदेश एस.एफ.ए.सी
- बैंकों
- एस.एफ.ए.सी. के सूचीबद्ध परामर्शदाता
- केन्द्रीय एस.एफ.ए.सी.